

म. व. सहकारी बंधितवय १९५० (क. १३ नव १९५१) की वारा १ के अन्तर्गत एवीयन का, -दी.आर.आय.डी.आर.
५८, दि. २८-१२-१९५१ (म. व. राजपत्र दि. ११५-१९५२) के दुष क. १२० वर प्रकाशित मूल्यना के
अनुसार यात्रा की रात्र है।

लोकमान्य सहकारी गृह-निर्माण सोसायटी लिमिटेड, १६, खातीपुरा रोड, इन्दौर (लोकमान्य नगर)

जमीन का पटा (लीज डीड)

यह भूमि का पटा लिख देने वाले लोकमान्य सहकारी गृह-निर्माण सोसायटी लिमिटेड, इन्दौर तक वर्तमान (पट) संघी (सेक्टरी) भी ग्रामीण कुट्टाया विता दातारा ग्रामीण आयु उच्च वर्ष ५.२६६ पह पटा लिखावाने वाले थी माधव निवासी लियापान नामामन. ५३१२ मोहल्ला ज़ारीकर स्टाप्ट नामी इन्दौर नगर, हाल मुकाम ५३ लाईब्रेरी इनको यह पटा लिख देते हैं ऐसा कि :—

(२) हमारी उपरोक्त सोसायटी के आप सदस्य हैं और इस सोसायटी के मालकी एवं दृष्टि की नियन्त्रित वर्णन की भूमिक्वामिस्वस्व की भूमि, नगर इन्दौर में रेहेम्ब समस्ता नं. १४९०, १४९३, १४९५ व १५०१ की केसरवाम रोड से लगी हुई है और जो लोकमान्य नगर नाम से स्थित है।

(३) इस भूमि के विकास की 'लोकमान्य नगर' नाम की स्कोम इन्दौर नगर मुख्यास के पव क. ५३१२ दि. १४-२-१९६६ तथा पव क. २३३२ दि. २८-८-६७ द्वारा स्वीकृत हुई है।

(४) अब इस लेख द्वारा नियन्त्रित यतों पर आपको हम उपरोक्त कॉलोनी के प्लॉट नं. ५२ की भूमि का पटा लिख देते हैं :—

पटां :

(१) यह कि आपको इस लेख द्वारा दी गई भूमि का वर्णन नियन्त्रित प्रकार है :—

(अ) उपरोक्त भूमि पैकी प्लॉट नम्बर ५२

(ब) प्लॉट का विस्तार तथा अनुसारी :

पूर्व ६०' फूट (५८६७५२/८५)

पश्चिम ६०' " (५८६७५२/८५)

उत्तर ६५' " (५८६७५२/८५)

दक्षिण ६५' " (५८६७५२/८५)

धोनकल २६०० वर्गफूट

(२) यह कि उक्त प्लॉट की अनुमानित अपसेट कीमत संस्था की साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव क्र० २ दिनांक २३-१-१९६६ के अनुसार (जिसमें भूमि के विकास तथा मूल्य सम्बंधी अनुमानित व्यय अंतर्भूत है) रु. १०१३ पै.

(अधिकारी रपया एक व पैसे तेरह फूट) प्रति वर्ग फूट के अनुसार रुपये २०३/- (अधिकारी रपये—दोहराने को अनुमति दी गयी है—)

फूट) होकर उक्त आकार हमने आपसे प्राप्त करने के एवं इस लेखानुसार

(१)

मान गुप्तरावा ... ११.५४.८० दिनांक
ग्रन्थालय, निर्देशन व दस्तावेज़
दु. याच संस्कृत क. ४३ नं. ५५७२६० दिनांक

दायरे
विष्णु कैवल्य के प्राप्तीकाल के
शास्त्रोत्तर में वराह ... १९५
से अ. ४०/८० वा.
सम्मुद्र किया गया।

Ullamalla

मान गुप्तरावा ... ११.५४.८० दिनांक
ग्रन्थालय, निर्देशन व दस्तावेज़
दु. याच संस्कृत क. ४३ नं. ५५७२६० दिनांक

सर्वानि श्रीकार वाला
श्रीकार वाला ११.५४.८०
ग्रन्थालय द्वारा विष्णु
किया गया था की अधिकारी
दृष्टि/अधिकारी एवं नियमित

सर्वानि
श्री विष्णुरावा
श्री विष्णुरावा एवं नियमित
दृष्टि
१. अ. ४०/८० वा.

श्री विष्णुरावा/विष्णुरावा
द्वारा विष्णुरावा के नाम में की गई।
दृष्टि अधिकारी ... ११.५४.८०

श्री विष्णुरावा ... ११.५४.८०
श्री विष्णुरावा द्वारा विष्णुरावा
द्वारा विष्णुरावा के नाम में की गई।
दृष्टि अधिकारी ... ११.५४.८०

११.५४.८०
११.५४.८०
११.५४.८०
११.५४.८०
११.५४.८०
११.५४.८०

ग्रन्थालय

प्लाट के मूल्यपर प्रति वर्ष २ प्रतिशत के मान से रुपये ५८-४६/- (अधरी रुपये अंडोलन ने येल चिन्हित करता) किराये (लीज) के रूप में आपने देना स्वीकार करने के एवं इस लेख द्वारा नियत शर्तों का पालन करना आपने स्वीकार करने के ऐवज में उपनिदिष्ट प्लाट क्रमांक ६२ की भूमि भवन बनाने के हेतु आपको पटे से दी है। संस्था का उपनिदिष्ट प्रस्ताव आपको बनाने कारक है।

- (३) यह कि इस पटे को अवधि आज दिनांक से दिनांक ३०-६-२०६३ (तीस जून सन् दो हजार ब्रेसट) तक तक रहेगी। यह अवधि समाप्त होने के पश्चात जैसी भी भूमि सम्बंधी कानून की स्थिति हो तथा इस संस्था की जैसी भी योजना आगे के लिये कायम हो उसके अनुसार आवंदा लीज रिमू करना अथवा इस पटे द्वारा आपको दी हुई भूमि, भूमिस्वामी-स्वतंत्र से आपको बेच देना इत्यादि बाते उक्त सोसायटी द्वारा उस समय लिये गये निर्णयों पर निर्भर होगा।
- (४) यह कि पटे की भूमि का अधिम वायिक किराया (लीज) रु. ५८-४६/- (अधरी रुपये अंडोलन ने येल चिन्हित करता) प्रतिवर्ष दिनांक १ जुलाई से एक माह के अंदर आप अथवा आपके उत्तराधिकारी, सोसायटी के कार्यालय में जमा करते रहेंगे। किराये (लीज) के लिये पटे का वर्ष १ जुलाई से प्रारम्भ होकर ३० जून को समाप्त होगा। आज दिनांक ने आगामी ३० जून तक का उपरोक्त किराये (लीज) की दर से सानुपातिक किराया (लीज) रु. ५८-४६/- (अधरी रु. चार सौ लाख चार प्रति जाह करता) आगे हमने आज दिनांक को अधिम प्राप्त कर लिया है।
- (५) यह कि किराया शेष रहने पर उपरोक्त सोसायटी आपसे तथा आपके उत्तराधिकारियों से प्रतिमास (७५ पचहत्तर दिनों) प्रतिशत रुपये के अनुसार अध्यात्र पाप्त करने की अधिकारी होगी। वायिक किराये [लीज] का एवं अध्यात्र का भार आपको इस पटे द्वारा दिये प्लाट पर स्थित आपकी स्थावर तथा जगम जायदाद पर रहेगा।
- (६) यह कि पटे के अवधि के काल में यदि शासकीय आज्ञानुसार अथवा अन्य किसी कारण से उपरोक्त कौलोनी की भूमि की तोड़ी के आकार में बृद्धि हुई तो उस अनुपात से आपको दिये गये प्लाट के वायिक किराये [लीज] में बृद्धि करने का अधिकार सोसायटी को होगा।
- (७) यह कि आज दिनांक से आगे आपको दिये गये प्लाट की भूमि से सम्बंधित नगरपालिक नियम के तथा शासन के नेतृत्व एवं अन्य सर्व प्रकार के करों के भूमतान का उत्तरदायित्व आपका होगा।
- (८) यह कि आपको दिये गये प्लाट का उपयोग आप केवल निवास योग्य भवन बनाने के लिये कर सकेंगे। यदि निवास के अतिरिक्त अन्य काम के लिये भवन में कोई बनावट करना हो तो सोसायटी को पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगी। तथा इस प्रकार का भवव निर्माण करते समय प्रैलिक हैल्थ एन्जिनियरींग विभाग द्वारा अथवा लिटी इम्प्रेंजरींग ट्रस्ट द्वारा कौलोनी की योजना में नियत की हुई शर्तों एवं भविष्य में उक्त विभागों द्वारा अथवा नगरपालिक नियम द्वारा अथवा शासन द्वारा इस सम्बंध में नियत की जाने वाली समस्त शर्तों आप पर तथा आपके उत्तराधिकारी उपरोक्त प्रकार की शर्तों का पालन न करने पर होनेवाले परिणाम के लिये उत्तरदायी रहेंगे।

प्राप्ति - ८७

(५)

Ullaswadi

वार शुक्रवार दो बार नियमी तारीख
१५ अगस्त, १९८८ नवम श. अ. १८८
मु. वार दत्तदीक न. ३२ टि. १९८९१८८८८८८

वराच निष्ठाएँ या व्यापक संग्रह
के लिए
वा निष्ठाएँ ये दाता ₹ ११ महार १९८८
११ जो किया था

शुद्ध विलेव

—
सप्तवारी

M.W. Tokhale

वराच निष्ठाएँ या व्यापक संग्रह
के लिए
वा निष्ठाएँ ये दाता ₹ ११ महार १९८८
११ जो किया था

सप्तवारी

✓ Reshma

✓ mgm/173

- (१) यह कि कोई सदस्य प्लॉट की जमीन को अधिका उस पर बनाये गये भवन को, जो संस्था से छूप लेकर मोल लिया हो अधिका बनाया हो, किसी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तर नहीं कर सकेगा सिवाय उस व्यक्ति के जो कि संस्था का सदस्य हो अधिका जिसे सदस्य बनाना कार्यकारिणी ने स्वीकार कर लिया हो या जो घटना नि. ४ के अन्तर्गत सोसायटी का सदस्य बनने योग्य हो।
- (२) यह कि उक्त प्लॉट की भूमि या उस पर बनाये गये भवन को विकी, दान, बधास, गिरवी, कंडिशनल मेल, मनोनयन Nomination आदि द्वारा ऐसे व्यक्ति को अंतरित करने का पुरोक्त को सदस्य न होगा जो कि संस्था का सदस्य न हो या जिसे सदस्य बनाना सोसायटी ने स्वीकार न कर लिया हो या जो संस्था के घटना नियम क. ४ के अन्तर्गत सोसायटी का सदस्य बनने योग्य न हो।
- (३) यह कि उक्त प्लॉट की भूमि जो इस पर आप्त अधिकारों का किसी भी प्रकार का अन्तरण, विकाय, दान, बधास, गिरवी, कंडिशनल मेल आदि करने के पूर्व आपको एवं आपके उत्तराधिकारियों को उपरोक्त सोसायटी की लेखी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसी अनुमति देना या न देना वह सोसायटी पर निम्नरक्षणीय होगा। ऐसे अन्तरण के लिये अन्तरण युक्त लीब के सालियाना आकार के दुगनी रकम ह. ५५५-५५५—(अधिकारी रायमें इन्हें अनुमति का प्राप्तवाना कहा जाता है) देना होगी। प्लॉट तथा मकान का मनोनयन Nomination ऐसे ही व्यक्ति के हक में किया जा सकेगा जो सोसायटी के घटना नियम क. ४ के अन्तर्गत सोसायटी का सदस्य बनते योग्य हो। अन्तरण युक्त मनोनीत Nominated अधिका उत्तराधिकारी Legal heirs से नहीं लिया जावेगा।
- (४) यह कि किसी भी स्थिति में यदि लीज-होल्डर का उत्तराधिकारी संस्था के घटना नियम के अन्तर्गत सोसायटी का सदस्य बनने योग्य नहीं तो उक्त लीज-होल्डर को पहुँच पर दिया गया प्लॉट न. ५२ व उसपर बना हुआ भवन (यदि कोई हो) को उत्तराधिकारी तथा सोसायटी द्वारा उत्तराधिकारी को दिया जावेगा। बिना अनुमति किया गया लीज-होल्डर के एसे उत्तराधिकारी को दिया जावेगा। बिना अनुमति किया गया अन्तरण अवैध होगा व इस नोसायटी पर वधनकारक नहीं होगा तथा इस शर्त के उत्तराधिकारी को एसे उत्तराधिकारी को दिया जावेगा। अधिकारी जो उसे अन्तरण-युक्त को कोई स्वाक्षर प्राप्त न होने से बहुत अतिकारक माना जाकर उसे हटाने का अधिकार सोसायटी को होगा।
- (५) यह कि सोसायटी को कर्तव्यों से भवन बनाने की अनुमति इन्हीं नगरपालिक नियम अधिकारी Competent Authority से प्राप्त होने के दिनांक से छः माह तक अन्दर प्लॉटहोल्डर को नगर नियम अधिका संघरण अधिकारी Competent Authority के नियमों के अनुसार मकान का नक्शा देख करना होगा तथा स्वीकृति होने के पश्चात तीन साल के अन्दर मकान बनाना होगा। मकान बनाने के पूर्व प्लॉट के सीमा का परीक्षण संस्था से करवा लेना प्लॉटहोल्डर को वधनकारक है।
- (६) यह कि प्लॉट की भूमि का स्वामित्व सोसायटी का रहेगा और प्लॉटहोल्डर को केवल भूमि के उपभोग का अधिकार उपरोक्त शर्तों के अनुसार ही प्राप्त होगा।
- (७) यह कि उपरोक्त शर्तों परीक्षा किसी भी एक वा अधिक शर्तों का उत्तराधिकार प्लॉटहोल्डर द्वारा या उसके उत्तराधिकारी ने या उसके मनोनीत अधिकारी ने किया तो सोसायटी को उसे सदर छालक पर में निष्कालित करते हुए सदर स्थान पर अपना नियमी अधिकार तथा उस छालक पर प्रवेश करके कहां प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (८) सोसायटी ने अपने सदस्यों को प्लॉट लीज पर देने वाले जो नियम आदि बनाये हैं उनके तथा लीज होल्ड में के अध्य शर्तों के वालवाले भी पदस्थ (प्लॉट होल्डर लेसी) को प्लॉट व उसके ऊपर बनी इमारत यिन्हीं रखने का अधिकार होगा।
- (९) यह पट्टा का लेख सोसायटी द्वारा आपके हित में मोख ममत्त कर अच्छी हालत में सोसायटी की योजना के अन्तर्गत तथा नियमों के वालन में लिख दिया सो मही ५८१-११-१०-१२

मजाह (H.)

नाम व पता

गवाह

नाम व पता

गवाह

नाम व पता

गवाह

(वह नियमी एवं नियमित सोसायटी का)

उत्तराधिकारी एवं नियमी सोसायटी का

उपरोक्त भूमि का पट्टा उपरोक्त नियम तथा शर्तों के साथ लेना मुझ स्वीकार है।

(मही प्लॉट होल्डर)

मही प्लॉट होल्डर